भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 314

05 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

आरआईएनएल के लिए लौह अयस्क अवशेष का भंडारण

314. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से खान मंत्रालय को आरआईएनएल के पक्ष में लौह अयस्क भंडार आरक्षित करने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने खान मंत्रालय से लौह अयस्क अवशेषों का भंडारण आरआईएनएल के लिए करने की सिफारिश नहीं की है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (घ): जी हाँ। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 के भाग 17क (2क) के तहत लौह अयस्क भंडार के आरक्षण हेतु अनुरोध किया है। तथापि, खान मंत्रालय को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

****